भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2565
04/08/2026 को उत्तर के लिए

भारतीय झींगा निर्यात की खेप

2565. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2025 में प्रतिबंध लागू होने के पश्चात् से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक बाजारों द्वारा प्रतिबंधित जलीय पशु चिकित्सा एंटीबायोटिक अवशेषों (जैसे नाइट्रोफुरान्स और क्लोरैम्फेनिकॉल) पाये जाने के कारण वापस भेजी गई भारतीय झींगा निर्यात खेपों की कुल संख्या कितनी है तथा इससे घरेलू समुद्री उत्पाद क्षेत्र को कितनी वित्तीय हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने उन सटीक नियामक कमियों - जैसे स्थानीय बाजारों में पशु चिकित्सा-ग्रेड दवाओं की अनधिकृत बिक्री की पहचान की है, जिनके कारण ये प्रतिबंधित पदार्थ जलीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं;

(ग) भारत की प्रमुख झींगा उत्पादक तटीय पट्टियों में अवैध एंटीबायोटिक उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु केंद्रीय एवं राज्य कार्यबलों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों, लगाए गए जुर्मानों और किए गए निरीक्षणों का राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातों की वैश्विक साख को पुनःस्थापित करने हेतु "सफारी" जैसे बीज प्रमाणन कार्यक्रमों और किफायती, प्रमाणित एंटीबायोटिक - मुक्त फ़ीड़ तक पहुंच के माध्यम से तमिलनाडु के छोटे पैमाने के झींगा किसानों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2025 से अब तक, प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाए जाने के कारण अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और रूस जैसे प्रमुख आयातक बाज़ारों ने भारतीय झींगा निर्यात की कुल 35 खेपों को अस्वीकार कर दिया है। अस्वीकृत झींगा निर्यात खेपों की संख्या, मात्रा और निर्यात मूल्य का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं की अनधिकृत बिक्री और दुरुपयोग से उत्पन्न जोखिम की पहचान की है और जलकृषि में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग की रोकथाम के लिए नियामक ढांचे को सुदृढ़ किया है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (वर्ष 2023 में

यथासंशोधित) के अधीन तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) द्वारा तटीय जलकृषि में उपयोग हेतु प्रतिबंधित पदार्थों की सूची का विस्तार करते हुए उसमें 75 एंटीबायोटिक तथा अन्य औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) द्वारा केवल प्रमाणित जलकृषि इनपुट के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में शास्ति लगाए जाने का प्रावधान किया गया है तथा प्रतिबंधित एंटीबायोटिक के उपयोग पर रोक के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने एवं हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से परामर्श (एडवाइजरी) एवं सूचनाएं जारी की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2025 के दौरान जलकृषि में एंटीबायोटिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए कई नियामक उपाय किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की अनुशंसाओं के आधार पर, खाद्य उत्पादन हेतु पाले जाने वाले पशुओं में क्लोरैमफेनिकॉल एवं नाइट्रोफ्यूरान के उपयोग के लिए उनके आयात, विनिर्माण, वितरण तथा विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सा उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट 34 प्रतिजीवाणुरोधी (एंटीमाइक्रोबियल) औषधीय उत्पादों के आयात, विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झींगा, प्रॉन, मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों से संबंधित जलकृषि गतिविधियों में मानव उपयोग के लिए आरक्षित 37 प्रतिजीवाणुरोधी (एंटीमाइक्रोबियल) औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ग) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा सभी तटीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को जलकृषि मूल्य श्रृंखला में प्रतिबंधित प्रतिजैविकों (एंटीबायोटिक) के उपयोग एवं आपूर्ति की निगरानी के लिए प्रतिजैविक कार्यबल (एंटीबायोटिक टास्क फोर्स) के गठन की सलाह दी गई है। तदनुसार, सभी तटीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरूप निगरानी, निरीक्षण तथा प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है। इसके अनुपालन में सभी तटीय राज्यों द्वारा बहु-विषयक एंटीबायोटिक टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है।

भारत सरकार जलकृषि में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक के उपयोग की रोकथाम, पता लगाने और नियंत्रण के लिए नियामक और निगरानी तंत्र का आकलन करने के लिए प्रमुख आयातक देशों द्वारा निरीक्षण और सिस्टम ऑडिट किए जाने की सुविधा भी देती है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग के निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) द्वारा प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) से संबंधित अनुपालनहीनता के प्रत्येक सूचित मामले में मूल कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जाती है तथा उसके आधार पर उपयुक्त सुधारात्मक एवं निवारक उपाय लागू किए जाते हैं। निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) द्वारा निर्यात-पूर्व अवशेष (रेजिड्यू) निगरानी व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। इसके अंतर्गत सख़्त सैंपलिंग प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं तथा यूरोपीय संघ और जापान जैसे संवेदनशील बाजारों को निर्यात किए जाने वाले सभी खेपों (कंसाइनमेंट) का 100 प्रतिशत परीक्षण सुनिश्चित किया जाता है। जिन संस्थानों में एंटीबायोटिक से जुड़े नियमों का बार-बार उल्लंघन होता है, उन पर तब तक अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाते हैं जब तक कि संतोषजनक सुधारात्मक उपाय लागू नहीं कर दिए जाते।

मत्स्यपालन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) कार्यबलों द्वारा राज्यवार अथवा जिलावार किए गए निरीक्षण, की गई प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई अथवा अधिरोपित शास्ति का कोई

केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं रखा जाता है। ऐसी प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई लागू सांविधिक उपबंधों के अधीन संबंधित राज्य सरकार तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जाती हैं।

(घ) सरकार तमिलनाडु के लघु किसानों सहित झींगा किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक उपाय कार्यान्वित कर रही है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण एक्वाकल्चर इनपुट तक पहुँच में सुधार, रोग निगरानी को सुदृढ़ करना और एंटीबायोटिक-मुक्त झींगा उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्य बीज, नर्सरी तथा मत्स्य आहार (फीड) संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस क्रम में, तमिलनाडु में ₹2.59 करोड़ की कुल परियोजना लागत से 37 नर्सरी/मत्स्य बीज पालन तालाबों, ₹40 लाख की परियोजना लागत से एक रोग निदान एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, तथा ₹5.20 करोड़ की कुल परियोजना लागत से सात मत्स्य आहार (फीड) मिल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण बीज और चारे की उपलब्धता में सुधार करना और रोग निगरानी को सुदृढ़ करना है।

इसके अतिरिक्त, प्रमाणित एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA) ने एक प्रमाणन तंत्र स्थापित किया है, जिसके तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले निर्माताओं और वितरकों को एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA) ने अब तक दस श्रेणियों में 10,109 एक्वाकल्चर इनपुट उत्पादों को प्रमाणित किया है, जिनमें एक्वाकल्चर फ़ीड, फ़ीड एडिटिव्स, प्रोबायोटिक्स, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स, कीटाणुनाशक, रसायन और खनिज मिश्रण शामिल हैं, जिससे झींगा किसानों को गुणवत्ता-प्रमाणित, एंटीबायोटिक-मुक्त इनपुट की उपलब्धता आसान हो गई है।

इसके अतिरिक्त, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा एफएओ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शाफरी (SHAPHARI) प्रमाणीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रोग-मुक्त तथा प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक)-मुक्त झींगा बीज एवं फार्म उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, हैचरियों के लिए ऑडिट और परीक्षण की 50% लागत MPEDA द्वारा वहन की जाती है, जबकि किसानों को ऑडिट या परीक्षण का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। वर्तमान में, देश भर में SHAPHARI के तहत 16 हैचरी और 392 हेक्टेयर झींगा फार्म प्रमाणित हैं, जिनमें से एक हैचरी और 83.47 हेक्टेयर प्रमाणित झींगा फार्म तमिलनाडु में स्थित हैं।

अनुबंध-I

भारतीय झींगा निर्यात की खेप के संबंध में 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय संसद सदस्य, लोकसभा डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न 2565 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

मार्च, 2025 से अब तक प्रतिबंधित प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) अवशेषों की उपस्थिति के कारण प्रमुख आयातक बाजारों द्वारा अस्वीकृत झींगा खेपों (कंसाइनमेंट) का विवरण ।

देश	अस्वीकृत खेपों की संख्या (मार्च 2025 से अब तक)	खेप की मात्रा (MT में)	खेप का मूल्य (करोड़ में)
यूरोपीय संघ	9	145.21	9.49
यूएसए	22	336.79	26.01
जापान	3	45.54	3.06
रूस	1	20	1.341
कुल	35	547.54	39.901
